

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 73/2019 प्रार्थना पत्र



आजम खान

// बनाम //

शोयब खान व अन्य

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने मूलवाद में एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के बीच राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रार्थी उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। तथा इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0का0अधि0 को इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

